श्रमदान से बदली पटपरी के तालाब की तस्वीर

हितेश जैन

पोहरी 7 फरवरी। पोहरी तहसील के ग्राम पटपरी की धूल भरी गलियों में कुछ समय पहले तक सन्नाटा और मायूसी पसरी रहती थी। हैंडपंप सूख जाते थे, खेतों के

आदिवासियों की प्यास बुझाने का संकल्प

लिए पानी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी और गर्मियों में हालात इतने खराब हो जाते थे कि प्यास बुझाने के संघर्ष के कारण कई ग्रामीण पलायन को मजबूर हो जाते थे। लेकिन अब यही गाँव सामूहिक प्रयास की मिसाल बनकर उभरा है।

इस बदलाव की शुरुआत तब हुई जब 'विकास समूह' के साथियों ने ग्रामीणों के साथ बैठकर पानी की समस्या पर चर्चा की। ग्रामीण तेज सिंह आदिवासी बताते हैं कि शुरुआत आसान नहीं

थी, लेकिन लगातार संवाद के बाद पूरे समुदाय ने एकजुट होकर समस्या का समाधान स्वयं तलाशने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि हर घर से लोग फावड़ा लेकर बाहर निकले और तालाब के पुनर्जीवन का काम शुरू हुआ।

गाँव में पहले से मौजूद तालाब उपयोगी नहीं रह गया था, क्योंकि उसकी मिट्टी पानी रोक नहीं पाती थी और वर्षा का पानी जमीन में समा जाता था। इस समस्या का समाधान जगन्नाथ आदिवासी सहित ग्रामीणों ने वैज्ञानिक तरीके से 'काली मिट्टी के भराव' के रूप में निकाला।

इसके बाद 90 महिला-पुरुषों ने सात दिनों तक लगातार श्रमदान किया। कड़ाके की ठंड और तपती दोपहर की परवाह किए बिना तालाब का गहरीकरण किया गया और उसकी सतह पर काली मिट्टी की मोटी परत बिछाई गई, ताकि पानी का रिसाव रोका जा सके।

ग्रामीणों के इस प्रयास को देख 'विकास संवाद' और 'गूंज' संस्था ने भी सहयोग दिया। चाइल्ड राइट्स एंड यू के सहयोग से संचालित परियोजना के तहत श्रमदान कर रहे परिवारों को गर्म कपड़े और जूते उपलब्ध कराए गए, जिससे उनका उत्साह और बढ़ा।

अब तालाब नए स्वरूप में तैयार है और ग्रामीणों की निगाहें बरसात पर टिकी हैं। जगन्नाथ आदिवासी विश्वास जताते हैं कि इस बार तालाब भरने से जलस्तर बढ़ेगा और खेती, मवेशियों व पेयजल की समस्या में राहत मिलेगी। पटपरी की यह कहानी सामुदायिक एकता और आत्मनिर्भरता की मिसाल बनकर सामने आई है। जहाँ 90 हाथों के संकल्प ने प्यास बुझाने की उम्मीद जगा दी है।

खोड़ में स्वास्थ्य का महाकुंभ : लगा विशाल नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर

नवभारत न्यूज

शिवपुरी 7 फरवरी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दूरगामी सोच और क्षेत्रीय जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के संकल्प के साथ आज शिवपुरी विधानसभा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोड़ में एक विशाल नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिवपुरी के क्षेत्रीय

विधायक देवेंद्र जैन रहे मौजूद

विधायक देवेंद्र जैन विशेष रूप से सम्मिलित हुए और शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

यह स्वास्थ्य शिविर श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन एवं रोटरी रीजनल मेडिकल मिशन शिवपुरी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को उच्च स्तरीय

और विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराना है। शिविर में पहुंचे विधायक देवेंद्र जैन ने कहा कि, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के अथक प्रयासों से आज क्षेत्र के लोगों को अपने ही घर के पास आधुनिक चिकित्सा सेवाएं मिल रही हैं। यह मिशन न केवल बीमारों का इलाज कर रहा है, बल्कि क्षेत्र में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ा रहा है।

पशु तस्करी के खिलाफ अभियान तेज

विशेष संवाददाता

भोपाल,07 फरवरी. मध्य प्रदेश पुलिस ने अवैध गौवंश एवं अन्य पशुओं की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है.

बीते सात दिनों में पुलिस ने समन्वित, खुफिया सूचना आधारित और तकनीक-सहायित कार्रवाइयों के जरिए 141 गौवंश एवं अन्य पशुओं को सुरक्षित मुक्त कराया है. इस दौरान तस्करी में प्रयुक्त कई वाहनों को भी जब्त किया गया है. छतरपुर जिले में नौगांव पुलिस ने सूचना के आधार पर फोरलेन हाईवे पर एक संदिग्ध 16 चक्का ट्रक को रोका. तलाशी के दौरान ट्रक में क्षमता से अधिक 45 मवेशी भरे पाए गए, जिसके बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. अनूपपुर जिले के कोतमा क्षेत्र में पुलिस ने

एक ट्रक से 22 भैंस और पाड़ा बरामद किए. इस कार्रवाई में तस्करों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से एक देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए. बरामद सामग्री की कुल कीमत लगभग 26 लाख रुपये आंकी गई है. सिवनी में रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने एक कंटेनर वाहन को जब्त कर उसमें अवैध रूप से ले जाए जा रहे 27 गौवंश को मुक्त कराया.

एक अन्य कार्रवाई में 39 और गौवंश को भी तस्करों से छुड़ाया गया. वहीं खरगोन में दो अलग-अलग मामलों में चार गौवंश को मुक्त कराया गया, जबकि उमरिया पुलिस ने एक पिकअप वाहन जब्त कर चार पशुओं—भैंस और पाड़ा—को सुरक्षित मुक्त कराया. इन मामलों में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं.

मातृ-शिशु स्वास्थ्य : कलेक्टर चौधरी ने की मैराथन समीक्षा

नवभारत न्यूज

शिवपुरी 7 फरवरी। एलएसजीके महाविद्यालय परिसर में शनिवार को कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने ग्राम स्तरीय अमले की व्यापक समीक्षा बैठक लेकर जमीनी

आयुष्मान और मनरेगा पर कड़े निर्देश

अमल की रफ्तार पर सीधी नजर डाली। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विजय राज, एसडीएम अनुपम शर्मा, सीएमएचओ डॉ. संजय ऋषिश्वर, महिला एवं बाल विकास के डीपीओ डी.एस. जादौन, जनपद सीईओ ऑफिसर सिंह गुर्जर और बीएमओ डॉ. दीक्षांत गुधेनिया सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

कलेक्टर चौधरी ने साफ कहा कि आयुष्मान कार्ड निर्माण और

गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। प्रत्येक पंजीकृत गर्भवती की नियमित जांच, उच्च जोखिम गर्भावस्थाओं की समय पर पहचान और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। लक्ष्य स्पष्ट रखा गया कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में ठोस कमी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को निर्देशित किया गया कि वे कुपोषित बच्चों की सक्रिय पहचान कर उन्हें एनआरसी (पोषण पुनर्वास केंद्र) में भर्ती कराएं और फॉलो-अप मजबूत रखें।

महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के बीच रियल-टाइम समन्वय पर जोर देते हुए कलेक्टर ने कहा कि डेटा साझा करने में देरी बर्दाश्त नहीं होगी। आशा कार्यकर्ताओं व सुपरवाइजरों को प्रसव स्वास्थ्य केंद्रों में कराने और आयुष्मान कार्ड की प्रगति बढ़ाने के लिए माइक्रो-प्लान बनाकर काम करने को कहा गया। पंचायत सचिवों को समग्र आईडी स्थानांतरण की लंबित समस्याएँ तत्काल निपटाने के निर्देश दिए गए, ताकि पात्र हितग्राही किसी तकनीकी कारण से वंचित न रहें।

कलेक्टर ने एक बगिया मां के नाम योजना की पंचायतवार समीक्षा कर पात्र महिलाओं तक लाभ पहुँचाने की गति तेज करने को कहा। साथ ही मनरेगा के लंबित कार्यों को समयबद्ध पूरा करने, मजदूरी भुगतान में विलंब न होने और परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पर फील्ड मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया सरल और त्वरित करने पर भी विशेष जोर रहा, ताकि सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके। बैठक के अंत में कलेक्टर चौधरी ने दो टूक कहा कि बेहतर परिणाम टीमवर्क से ही आएंगे, फील्ड विज़िट बढ़ें, समीक्षा नियमित हो और हर स्तर पर जवाबदेही तय रहे। जिला पंचायत सीईओ विजय राज ने भी ग्राम पंचायतों से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत फीडबैक प्रस्तुत किया।

खनियांधाना में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब : सर्वसमाज ने किया गुरुवर का अभिनंदन

दिनेश कुमार झा

खनियांधाना 7 फरवरी। धर्मनगरी खनियांधाना आज गुरु-भक्ति के अनूठे रंग में पूरी तरह सराबोर नजर आई। तीर्थोदय क्षेत्र गोलाकोट महोत्सव के ऐतिहासिक पंचकल्याणक महोत्सव के सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत, निर्यापक श्रमण मुनिश्री सुधासागर जी महाराज ससंघ का नगर में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। मुनि संघ ने सुबह लगभग 6:30 बजे गोलाकोट से विहार प्रारंभ किया, जिसमें शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में भक्त अपने निजी वाहनों और बसों के साथ पहुंचे, वहीं नन्हे-मुन्ने बच्चों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था जो गुरुवर के साथ कदम से कदम मिलाकर पदविहार कर रहे थे।

जैसे ही मुनि संघ ने नगर की सीमा में प्रवेश किया, पूरा वातावरण जयकारों और गुरु-भक्ति की लहर से गुंजायमान हो गया। मुनिश्री के आगमन पर निकाला गया भव्य जुलूस अत्यंत मनमोहक और वैभवशाली था।

जुलूस की शुरुआत में खनियांधाना बालिका मंडल की सदस्याएं स्कूटी पर सवार होकर अनुशासन के साथ चल रही थीं, जिनके पीछे 'जिन शासन रेजिमेंट' और 'जिन शासन प्रभावना समूह' की महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर मंगल कलश धारण कर मंगल गान करती हुई आगे बढ़ रही थीं। इस दौरान महिला समिति खनियांधाना और दिव्य घोष की मधुर ध्वनियों के साथ ढोल, बैंड-बाजे और डीजे की गूँज ने पूरे नगर को उत्सवमय बना दिया।

नगर में सांप्रदायिक सौहार्द की एक अनुपम मिसाल भी देखने को मिली। मुनिश्री के स्वागत के लिए पूरे खनियांधाना को दुल्हन की तरह सजाया गया था और मार्ग में आकर्षक रंगोलियां उकेरी गई थीं। विशेष बात यह रही कि गुरुवर की अगवानी में केवल जैन समाज ही नहीं, बल्कि सर्वसमाज के लोग भी पूरी श्रद्धा के साथ उमड़ पड़े। नगर के विभिन्न वर्गों के नागरिकों ने जगह-जगह गुरुवर के चरणों को पखारा, उन पर पुष्प वर्षा की और श्रद्धापूर्वक नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्ति का यह विहंगम दृश्य देख ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समूचा नगर ही गुरु चरणों में समर्पित हो गया हो।

भव्य नगर भ्रमण के पश्चात मुनि संघ का पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में मंगल पदार्पण हुआ, जहाँ मुनिश्री ससंघ विराजमान हुए। इसके उपरांत मुनिश्री के मुखारविंद से प्रवचनों की अमृत वर्षा हुई। गुरुवर के आगमन ने खनियांधाना में आगामी पंचकल्याणक महोत्सव की तैयारियों को नई ऊर्जा दे दी है। मुनिश्री के सानिध्य को पाकर समस्त नगरवासियों में भारी हर्ष व्याप्त है और चारों ओर धर्म की प्रभावना बढ़ रही है।

अटलपुर की उचित मूल्य दुकान में बड़ा घोटाला उजागर, प्रबंधक-विक्रेता पर एफआईआर

नवभारत न्यूज

शिवपुरी 7 फरवरी। अटलपुर की शासकीय उचित मूल्य दुकान में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। जांच में राशन वितरण में गड़बड़ी और हजारों किलो खाद्यान्न के कथित गबन का खुलासा होने के बाद प्रबंधक और विक्रेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोलारस के निर्देशन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था रऊद के अधीन संचालित दुकान (कोड 0506037) की जांच की गई। जांच प्रतिवेदन में सामने आया कि दुकान नियमित रूप से नहीं खोली जा रही थी और हितग्राहियों को समय पर राशन वितरण नहीं किया जा रहा था। साथ ही पीओएस मशीन जमा न करने और रिकॉर्ड में गंभीर विसंगतियाँ पाई गईं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जांच के दौरान भारी मात्रा में खाद्यान्न के खुर्द-बुर्द का मामला सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार 8014 किग्रा गेहूं, 1808 किग्रा चावल, 560 किग्रा मूंग, 68 किग्रा नमक, 786 किग्रा आईसीडीएस गेहूं, 228 किग्रा आईसीडीएस चावल सहित अन्य सामग्री में अनियमितता पाई गई। यह कृत्य मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन माना गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। मामले में दुकान के विक्रेता देवेन्द्र यादव और प्रबंधक परमा जाटव के विरुद्ध थाना बदरवास में एफआईआर दर्ज की गई है।

उत्तर मध्य रेलवे

No. JHS/W/DO/misc/LC-434(T) दिनांक : 06.02.2026

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्वालियर-धौलपुर रेल मार्ग पर रायरू यार्ड में स्थित रेलवे फाटक क्र. 434 (T) रेलवे किमी. Km 1238/8-10, 7-9 को अनुरक्षण कार्य हेतु दिनांक 07.02.2026 से 14.02.2026 तक अस्थायी तौर पर बंद किया जा रहा है। इस दौरान वैकल्पिक मार्ग के रूप में आने जाने हेतु रेलवे फाटक नं. 434 बरऊआ गांव से लगभग 2.0 Km दूर डायवर्ट कर रायरू हाइवे बायपास रेलवे किमी 1240/4-6 का उपयोग किया जा सकता है।

278/26 (MG)

वरिष्ठ मंडल अभियंता/
उत्तर मध्य रेल, झांसी

North central railways @CPRONCR www.ncr.indianrailways.gov.in

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अचल संपत्ति भूमि प्लॉट स्थित शक्तिपुरम खुड़ा, वार्ड न. 02 तहसील व जिला शिवपुरी म.प्र. में स्थित है। उक्त भूमि प्लाट की लम्बाई पूर्व से पश्चिम को उत्तर दिशा में 32 फीट 6 इंच यानि 9.90 मीटर के बाद उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर 8 फीट यानि 2.4.3 मीटर के बाद पश्चिम से पूर्व की ओर 5 फीट 6 इंच यानि 1.67 मीटर व दक्षिण दिशा में 38 फीट यानि 11.58 मीटर एवं चौड़ाई उत्तर से दक्षिण को पूर्व दिशा में 13 फीट 3 इंच यानि 4.03 एवं पश्चिम दिशा में 21 फीट 3 इंच मीटर यानि 6.47 मीटर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 763.5 वर्गफीट यानी 70.92 वर्गमीटर है। उक्त भूमि प्लाट की चतुर्सीमा इस प्रकार है कि पूर्व में मकान मिश्रीलाल व दयाराम शिवहरे, पश्चिम में- आम रास्ता, उत्तर में खुली भूमि शासकीय के बाद आम रास्ता एवं मकान मिश्रीलाल चंदल, दक्षिण में गली एवं मकान जगदीश कुशवाह का स्थित है। उक्त भूमि प्लाट नगरपालिका संपत्ति कर रजिस्टर में सीरियल क्र. 1395/02 पर दर्ज है जिसकी नगरपालिका सम्पत्ति आई.डी. 7003136272 है जिसे विक्रेता सोनिया शिवहरे पत्नी श्री कमलेश शिवहरे ने ई-रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्र. MP392922021A1182120 दिनांक 22.02.2021 पर पंजीयन कराकर पूर्व विक्रेतागण श्रीमती साबो चिड़ार, पुत्री श्री काशीराम चिड़ार पत्नी श्री नकटू चिड़ार, श्रीमती मिट्ठी चिड़ार, पुत्री श्री काशीराम चिड़ार, पत्नी श्री बच्चू चिड़ार, श्रीमती गुड्डी चिड़ार, पत्नी श्री नारायण चिड़ार, श्री बदामसिंह चिड़ार, पुत्र श्री काशीराम चिड़ार, श्रीमती कस्तूरी बाई चंदेल, पुत्री श्री काशीराम चिड़ार, पत्नी श्री रामभरोसे चंदेल क्रय किया था, जो कि विक्रेता सोनिया शिवहरे पत्नी श्री कमलेश शिवहरे ने क्रेता रचना चिड़ार पत्नी श्री रामसेवक चिड़ार को ई-रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्र. MP23IGR18672026 A100143911 दिनांक 05.02.2026 के माध्यम से विक्रय किया है। उक्त संपत्ति को बंधक रख कर रचना चिड़ार पत्नी श्री रामसेवक चिड़ार, कैपरी ग्लोबल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड शाखा शिवपुरी म.प्र से ऋण प्राप्त कर रहीं हैं। यदि किसी भी व्यक्ति का अथवा संस्था का किसी भी प्रकार से उक्त संपत्ति में हित निहित हो तो वह इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से सात दिवस के भीतर अपनी आपत्ति मय दस्तावेजी साक्ष्य के कैपरी ग्लोबल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड शाखा शिवपुरी म.प्र, कार्यालय पर प्रस्तुत कर देवे, अन्यथा किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त ना होने की दशा में उक्त संपत्ति को कैपरी ग्लोबल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड शाखा शिवपुरी म.प्र, द्वारा नियामानुसार साम्य बंधक कर लिया जावेगा तथा उक्त संपत्ति पर उक्त संस्था का प्रथम प्रभार रहेगा तथा इस सूचना पत्र में दी गई म्याद उपरांत किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

सूचक
कैपरी ग्लोबल हाउसिंग फायनेन्स
लिमिटेड शाखा शिवपुरी म.प्र.
द्वारा अधिकृत अधिवक्ता
राजीव शर्मा एडवोकेट
निवासी विला नं ए-33,
संतुष्टि कॉलोनी, शिवपुरी म.प्र.

In The Court Of I Civil Judge Class - I, Civil Court Karera, Shivpuri

Presiding Officer: आकांक्षा यादव

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

(RCS A/0000064/2022)

घंसू खंगार.....वादी
VS
हरनारायण खंगार.....प्रतिवादी

Process Id 93/2026
पेशी दिनांक 16.03.2026

प्रेषिती-

(1) प्रेम पिता नत्था पत्नी नरेन्द्र जाति परिहार पता गांव सिलरा तह नरवर जिला शिवपुरी
(2) बल्लो उर्फ राजो पिता नत्थ पत्नी प्रमोद परिहार पता-कोटरा पिछोर तहसील पिछोर शिवपुरी
(3) साबो परिहार पति श्री मेहरवान परिहार पता मोहनगढ़ तह भितरवार जिला ग्वालियर
(4) कल्ली पिता रामप्रसाद जाति खंगार पता गांव टोरिया खुर्द तह करैरा जिला शिवपुरी

यह कि प्रार्थी घंसू खंगार ने आपके विरूद्ध वादवास्ते स्वतत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। - यह आज तारीख 04 February 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा

आकांक्षा यादव
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड
करैरा,जिला शिवपुरी (म.प्र.)

टिप्पणी:-उपस्थिति हेतु।

कृपया ध्यान दें-1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा.

जी-राम-जी योजना से हर हाथ को काम, हर गाँव को विकास : जिपं अध्यक्ष नेहा यादव

शिवपुरी 7 फरवरी। पोहरी महाविद्यालय प्रांगण में विकसित भारत जी-राम-जी योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव रहीं, जबकि पूर्व राज्यमंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने मुख्य वक्ता के रूप में योजना की रूपरेखा रखी। बैठक में जनपद अध्यक्ष रामकली आदिवासी, मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमिनी, जनपद उपाध्यक्ष मुन्नालाल रावत, विधानसभा संयोजक विक्की मंगल, जनपद सीईओ ऑफिसर सिंह गुर्जर, बीएमओ डॉ. दीक्षांत गुधेनिया सहित जिला व जनपद पंचायत प्रतिनिधि, पंच-सरपंच और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव ने कहा कि जी-राम-जी योजना ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 125 दिनों के रोजगार का ठोस लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी। ग्राम सभाओं में तय एजेंडे के आधार पर कार्यों का चयन कर गांवों का समग्र और योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य वक्ता सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री के हर हाथ को रोजगार के संकल्प को जमीनी स्तर पर साकार करने का माध्यम है। उन्होंने बताया कि योजना में समय-समय पर आवश्यक संशोधन कर अधिक कार्यों को शामिल किया गया है, ताकि ग्रामीण विकास को व्यापक और स्थायी बनाया जा सके। बैठक में विभागीय समन्वय, कार्ययोजना और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने योजना को सफल बनाने के लिए सामूहिक प्रयास की प्रतिबद्धता जताई।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद इटारसी

क्रं./लोक कर्म शाखा/2026 /2249 इटारसी दि. 06.02.2026

ई निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केंद्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है. निविदा का विस्तृत विवरण बेवसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्रं	टेण्डर पोर्टल क्रं	कार्य का नाम	कार्य की लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा की अंतिम तिथि
1.	2026_UAD_480761_1	शहर इटारसी में मुख्यमंत्री मॉनिट ए नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना अंतर्गत विभिन्न सीसी निर्माण कार्य (कार्यों की सूची संलग्न) (द्वितीय आमंत्रण)	3,37,11,358/-	1,68,560/- 15,000/-	21.02.2026 17.30

नोट - निविदा से संबंधित किसी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाइट पर ही किया जावेगा. पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा.

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद इटारसी